

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-212/2025-

/स्वा० पटना, दिनांक / /2026

डा० संतोष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, चन्द्रायण, सहरसा के दिनांक-15.09.2020 से 10.07.2022 तक अध्ययन अवधि एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-15.09.2025 से 05.05.2022 तक	.	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्रांक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)
(ii)	दिनांक-06.05.2022 से 10.05.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(iii)	दिनांक-11.05.2022 से 27.06.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
(iv)	दिनांक-28.06.2022 से 10.07.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाटक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-212/2025- 2329(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 24/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, चन्द्रायण, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/डा० संतोष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, चन्द्रायण, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. 23/9/26
सरकार के उप सचिव।
1